न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 66 / 2025

श्री लालाराम परिहार (भूतपूर्व सैनिक) निवासी मकान सं. 89 ए रेलवे सोसायटी बजरंग नगर नयापुरा कोटा राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 28.08.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

बिन्दू—1— सूचना आवेदन दिनांक 01.09.2024 शुल्क IPO कमांक 63F848041 राशि 10 रूपये मूल पत्रावली अवलोकन मे प्रेषित पत्रांक उपलब्ध करावे (SPIO अति. कलक्टर)

क मूल पत्रावली अवलोकन मे स्वीकृती नही दिये जान पर आर.टी.आई. अधिनियम 2005 धारा 2(J) के उपखण्ड (i) (ii) अवमानना किये गये SPIO का नाम मय साक्ष्य दस्तावेज सूचना देवे।

बिन्दू 2 सूचना आवेदन दिनांक 30.03.2025 शुल्क IPO कमांक 66F216271, 66F216271, SPIO अति. जिला कलक्टर, टोंक आवेदन मे उल्लेखित सभी बिन्दू धारा 6(3) अनुभाग कोषाधिकारी टोंक प्रेषित / अप्रेषित में मय साक्ष्य पत्रांक सूचना देवे।

बिन्दू 3. सूचना आवेदन दिनांक 17.01.2025 शुल्क IPO कमांक 64F458791, SPIO सहायक लोक सूचना अधिकारी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टोंक मूल पत्रावली मे स्वीकृती प्रदान नही कि गये स्वीकृती दिये जाने / प्रेषित पत्रांक मय पजींयन डाकधर रसीद उपलब्ध करावे।

बिन्दू—4 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर टोंक पत्रांक आर.टी. आई. / 2025 / 370 दिनांक 28.03.2025 के सलग्न जिला सैनिक कल्याण अधिकारी टोंक (Sh. U.S.RATHORE) यात्रा विवरण (शासकिये खर्चे) दिनांक 17.11.2023 से 06. 04.2023 तक जयपुर अजमेर व कोटा उल्लेखित तिथियों कि सूचना दस्तावेज देवे (यात्रा विवरण सीट सलग्न है) जयपुर 17.11.22, 24.03.23, 27.03.23, 06.04.23 अजमेर 1.12.22, 9.12.22, 12.12.22, 15.02.23, 23.02.23, 02.03.23 कोटा 20.03.23

क— जिला मुख्यालय / संभागीये मुख्यालय से बाहर जाने हेतु जिला सैनिक सचिव— जिला कलक्टर को स्वीकृती मे प्रेषित / देय जिला कलेक्टर टोंक पत्रांक उपलब्ध करावे

ब— वाहन टैक्सी बस से यात्रा किये जाने पर लोगबुक टोल पर्ची यात्रा टिकट देवे

स— यात्रा भता किस खाता नं., बैंक नाम / शाखा कोड शहर, जिला सूचना देवे।

702

जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर
टोंक

ध– पूर्व सूचना आंशिक MOHAN GARH, 20045997105 बैंक नाम, शाखा कोड जिला मय साक्ष्य सूचना देवे उक्त खाता डमी होना स्पष्ट है भ्रामक मिथ्या सूचना दिया गया।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1393 दिनांक 25.07.2025 एंव 1546 दिनांक 8.08.2025 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पत्र कमांकः 778 दिनांक 13.08.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध जिला सैनिक कल्याण अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 654 दिनांक 07.07.2025 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 655–56 दिनांक 07.07.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट जिला सैनिक कल्याण अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक